# विचारार्थ विषय

## 1. ईसीजीसी का कार्यकारी सारांश

मुंबई में स्थित मुख्यालय सहित पूरे भारत में ईसीजीसी की 60 शाखाएँ 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ईसीजीसी भारत के निर्यात की उन्नति एवं अपने अनुभव, विशेषज्ञता और अंतर्निहित प्रतिबद्धता के साथ भारतीय निर्यात उद्योग को सहयोग करने का प्रयास करता है।

ईसीजीसी भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) है जो कि वित्तीय और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा गैर-भुगतान जोखिमों पर निर्यातकों को ऋण बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह बैंकों को उधारकर्ता निर्यातको द्वारा लिए गए निर्यात ऋण में जोखिमों पर बीमा सुरक्षा भी प्रदान करता है। दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार ईसीजीसी के पास रु. 5,000 करोड़ की अधिकृत पूंजी एवं रु 2000 करोड़ की चुकता-पूँजी है (दिनांक-31 दिसंबर 2019 तक रु 2500 करोड़)। दिनांक-31 मार्च 2019 के अनुसार निवल मूल्य के रूप में रु 4,463 करोड़ है।

**विजन**

ईसीजीसी का विजन हैं "निर्यात ऋण बीमा व व्यापार संबंधी सेवाओं को उत्कृष्ट बनाना"।

**मिशन**

ईसीजीसी का मिशन हैं "भारतीय निर्यात बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफ़ायती बीमा तथा व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग को सहयोग प्रदान करना"।

## 2. ईसीजीसी का अवलोकन

### अ. पृष्ठभूमि

#### i. योजनाओ का संक्षिप्त विवरण

अधिकांश निर्यात साख शर्तों पर किया जाता है और भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि के बाद प्राप्त होता है। इस प्रकार के किसी भी निर्यात लेनदेन के दौरान, निर्यातकों को वाणिज्यिक जोखिमों जैसे दिवालियापन या खरीदारों द्वारा किए गए चूक का सामना

करना पड़ता है। राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण एक विदेशी खरीदार के दिवालिया होने या भुगतान करने की अपनी क्षमता को खोने से वाणिज्यिक जोखिम बढ़ जाते हैं। निर्यात ऋण बीमा निर्यातकों को राजनैतिक एवं वित्तीय दोनों ही भुगतान जोखिमों के परिणामों से बचाने एवं हानि के भय के बिना विदेशी व्यापार मे विस्तार करने योग्य बनाने हेतु बनाया गया है। ईसीजीसी का ऋण बीमा भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम को कम करता है और उन्हें विश्व व्यापार में उन्हे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

निर्यातकों को दिए गए पोतलदान पूर्व एवं पोतलदानोत्तर चरण में निर्यात ऋण के कारण उधारकर्ता उधारकर्ता निर्यातकों के दिवालियापन एवं / अथवा प्रचलित डिफॉल्ट के जोखिमों से होने वाली हानी से बैंकों को बचाने के लिए ईसीजीसी द्वारा बैंकों (ईसीआईबी) को निर्यात ऋण बीमा भी प्रदान किया जाता है। ईसीआईबी सुरक्षा भारतीय निर्यातकों को, उदार शर्तों पर पर्याप्त वित्त की आपूर्ति करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाती हैं। तनाव पूर्ण स्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को किये जाने वाले ईसीजीसी का समर्थन विशेष रूप से उल्लेखनीय है.

1991 के गल्फ युद्ध के दौरान निर्यात उद्योग को एवं 2008 मे वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान बैंकिंग उद्योग को किए गए सहयोग के कारण इसने राष्ट्रीय महत्व की प्रणालीगत संस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है

बैंकिंग उद्योग में व्याप्त वर्तमान तनाव पूर्ण स्थतियों में निर्यातकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संदर्भ मे ईसीजीसी की वर्तमान प्रणालीगत भूमिका काफी प्रासंगिक साबित हुई है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 19000 से अधिक के खातों पर रक्षा प्रदान की गयी. लगभग 3000 शाखाओं सहित कुल 33 बैंकों को , निर्यातकों को ऋण देने के उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान किया गया.

यहाँ , पुनः विशेष रूप से सघन रोजगार वाले क्षेत्रों को रक्षा की गई।

31 मार्च 2019 कुल अधिकतम दायित्व के रु 44077.51 के साथ कुल प्रभावी पॉलिसियाँ 12325 एवं ईसीजीसी की पॉलिसियाँ लेने वाले निर्यातकों की संख्या 8449 थी। 85% से अधिक छोटे निर्यातक (इसमे रु. 80 करोड़ की सीमा के निर्यात ऋण

कार्यशील पूंजी वाले निर्यातक हैं) लाभान्वित हुए हैं। दोनों ही (पॉलिसी एवं ईसीआईबी) उत्पाद निर्यात के अल्प अवधि (एसटी) के लेनदेनों की रक्षा करते हैं। अल्पावधि लेन-देन वे होते हैं जहां निर्यात के लेनदेनों का भुगतान निर्यात की तारीख से 12 महीनों के भीतर प्राप्त होता है।

मध्यावधि एवं दीर्घावधि (एमएलटी / परियोजना निर्यात)निर्यात भुगतान की विभिन्न शर्तों पर अभियांत्रिकी संबंधी वस्तुओं के निर्यात (ऋण सीमा एक वर्ष से अधिक होने पर) एवं टर्न की परियोजनाओं एवं सामूहिक विदेशी सिविल निर्माण के निष्पादन को दर्शाते हैं। ईसीजीसी रु. 5787 करोड़ के साथ 140 पॉलिसियाँ जारी करके 45 निर्यातकों को रक्षा प्रदान की।

## ii. <u>उद्देश्य</u>

अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ईसीजीसी ने स्वयं हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया है:

1. भारत के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाएं प्रदान करना।
2. भारतीय निर्यातकों को लागत प्रभावी ऋण बीमा के माध्यम खरीदारों अथवा बैंकों की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित नुक़सानों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अथवा देश के ख़रीदारों द्वारा समस्याओं का सामना करने के लिए पॉलिसी एवं निवेश बीमा सेवा के रूप मे, अन्य देशों के निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली रक्षाओं के समान तुलनात्मक रक्षाएँ उपलब्ध है,
3. प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों के लिए श्योरिटी रक्षा ( कवर ) उपलब्ध कराते हुए भारतीय निर्यातकों को पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं (वित्त पोषित / गैर-वित्त पोषित) उपलब्ध करवाना।
4. वित्तीय और परिचालन दक्षता संकेतकों के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए।
5. गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की माध्यम से ऋण बीमा में विश्व स्तर की विशेषज्ञता विकसित करना एवं निरंतर नवाचार सुनिश्चित करना तथा उच्चतम ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करना एवं,
6. निरंतर प्रचार एवं संवर्धन द्वारा ग्राहकों में जागरूकता उत्पन्न करना।

## iii. <u>कार्यान्वयन तंत्र</u>

ईसीजीसी निर्यातकों (पॉलिसी) एवं बैंकों (ईसीआईबी- निर्यात ऋण बैंकों के लिए बीमा) के लाभ के लिए ऋण बीमा रक्षा का परिचालन करता है। यह योजनाएं अल्प अवधि (एसटी) के साथ साथ मध्यावधि एवं दीर्घ अवधि (एमएलटी/ परियोजना निर्यात) निर्यात लेनदेनों की रक्षा करती है। मुंबई मे स्थित मुख्यालय सहित ईसीजीसी की पूरे भारत मे 60 शाखा कार्यालय व 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

iv. स्कीम आर्किटेक्चर

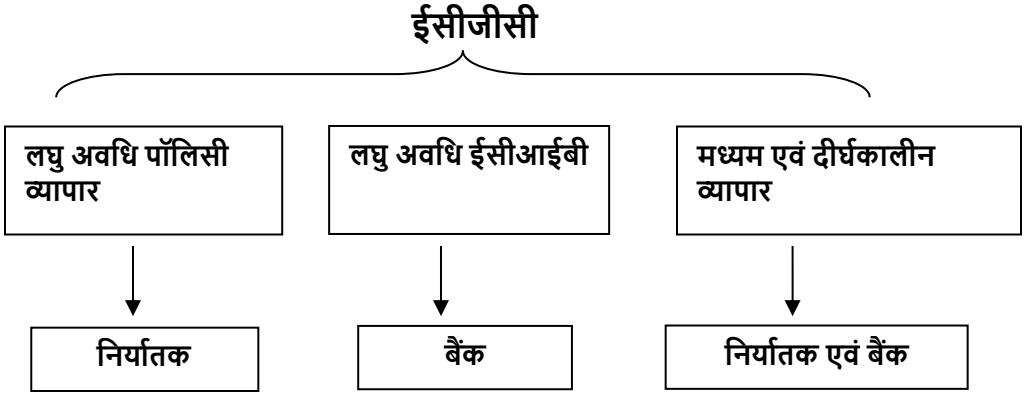


चित्र - ईसीजीसी योजना का व्यावसायिक आर्किटेक्चर

v. **सह-योजना का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड - पूंजीकरण**
vi. **योजना के प्रारम्भ होने का वर्ष : 1957**
vii. **वर्तमान मे योजना की व्याप्ति की स्थिति: परिचालनात्मक**
viii. **निरंतर विकास लक्ष्य:**

1. **भारत के निर्यात को बढ़ावा देना:** भारतीय निर्यात के लिए ईसीजीसी का सहयोग विनिर्माण और सेवा उद्योग को लागत प्रभावी निर्यात ऋण बीमा बैकअप प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है।(संदर्भ उद्देश्य 2 और 3)

2. **कुल आर्थिक विकास:** ईसीजीसी भारतीय निर्यात उद्योग को अपने अनुभव, विशेषज्ञों, एवं भारत के निर्यात की प्रगति और उन्नति के लिए अंतर्निहित

प्रतिबद्धता के साथ सहायता करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान कर रहा है (संदर्भ उद्देश्य 1)

3. **उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना:** ईसीजीसी विश्व की उन निर्यात ऋण एजेंसियों मे से एक है, जो कि बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले लघु अवधि के साथ माध्यम अवधि एवं दीर्घ अवधि पूर्व पोतलदान एवं पोतलदानोत्तर ऋण के लिए सहायता उपलब्ध करवाता है।

ix. **राष्ट्रीय विकास योजना प्रदान करना**

1. **विकास:** ईसीजीसी भारतीय निर्यात उद्योग को अपने अनुभव, विशेषज्ञों, एवं भारत के निर्यात की प्रगति और उन्नति के लिए अंतर्निहित प्रतिबद्धता के साथ सहायता करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान कर रहा है एवं रोजगार की सुरक्षा / निर्माण करता है।(संदर्भ उद्देश्य 1)

2. **प्रोद्योगिकी एवं नवाचार:** ईसीजीसी विश्व की उन निर्यात ऋण एजेंसियों मे से एक है, जो कि बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले लघु अवधि के साथ मध्यम अवधि एवं दीर्घ अवधि पूर्व पोतलदान एवं पोतलदानोत्तर ऋण के लिए सहायता उपलब्ध करवाता है।

3. **सतत विकास:** राष्ट्रीय निर्यात के सतत विकास / विकास को बनाए रखने के लिए, ईसीजीसी विभिन्न व्यापार निकायों और एजेंसियों के परामर्श से भारत मे ऋण बीमा संस्कृति को बढ़ावा देता है जो कि भारत के निर्यात में वृद्धि करने में सहायता करता है। (उद्देश्य संदर्भ 6)

b. **गत पाँच वर्षों मे बजट का आबंटन :**

| **घटक** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20(31 जनवरी 2020 तक की स्थिति)** |
|---|---|---|---|---|---|
| पूंजी **(₹ करोड़ में)** | 100 | 150 | *50 | *500 | *500 |

* सीसीईए द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए 3 वर्ष मे चुकता पूंजी मे वृद्धि करने हेतु रु. 2000 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। अभी तक रु. 1050 करोड़ प्राप्त किए जा चुके हैं व रु. 950 करोड़ प्राप्त किया जाना शेष है।

### c. पिछले मूल्यांकन का सारांश

| मूल्यांकन के वर्ष | नियुक्त की गई एजेंसी | स्वीकृत अनुशंसा | अस्वीकृत अनुशंसा |
|---|---|---|---|
| 2012-2017 | क्रिसिल | 1. निर्यातक समुदाय विनिर्माण और व्यापार गतिविधियों के साथ सम्पूर्ण उद्योग में व्यापक रूप से फैला हुआ है। ईसीजीसी के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्यातक समुदाय के उप-क्षेत्रों/ क्षेत्रों की विशिष्ठ आवश्यकताओं का अध्ययन करे और उसी अनुसार उत्पादों मे परिवर्तन करें।<br>2. ईसीजीसी के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण बीमाकर्ता के वर्तमान औसत वसूली दर मे 6-7% से 15-25% तक की बढ़ोत्तरी करने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाया जाए।<br>3. सरकारी पूंजी मे वृद्धि ऋण बीमा के जोखिम का सामना करने के लिए अत्यंत आवश्यक सदृढ़ीकरण उपलब्ध करवाता है, साथ ही साथ क्रमशः निर्यात ऋण संविभाग एवं निर्यातक व बैंकों को निर्यात के लिए सहायता करता है Government capital infusion, | कोई नही |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2017-2022 | क्रिसिल | 1. ईसीजीसी को अपने व्यापार व्याप्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए विपणन हेतु परिचालन व्यय एवं आउटरीच को बढ़ाना आवश्यक है।<br>2. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े ख़रीदारों के लिए, विवेकपूर्ण सीमाओं से परे, अधिक/ पूर्ण जोखिम लेना।<br>3. बैंकों को एनईआईए की सहायता से छोटे निर्यातकों पर 100% जोखिम रक्षा उपलब्ध करवाकर ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना | कोई नहीं |

## 3. प्रक्रिया

### a. पहुँच

**अपनाई गई प्रक्रिया:** ईसीजीसी देश के विभिन्न राज्यों मे स्थित 60 शाखा कार्यालय व 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करता है। कंपनी का प्रधान कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र मे स्थित है। कंपनी निर्यातकों (पॉलिसी) और निर्यातकों को निर्यात वित्त सुविधा (ईसीआईबी- बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा) उपलब्ध करवाने वाली बैंकों के लाभ के लिए ऋण बीमा रक्षा उपलब्ध करवाती है। 31.03.2019 को वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के पास रु. 97,871/- के अधिकतम दायित्वों सहित 33,400 से अधिक रक्षा थे।वित्तीय वर्ष 2018-19 मे रक्षित कुल जोखिम मूल्य रु. 6,59,926/- था जो कि उस वर्ष देश के कुल निर्यात व्यापार का 32% था।

कंपनी की योजनाएँ लघु अवधि के साथ साथ माध्यम एवं दीर्घ कालिक अवधि के निर्यात लेनदेनों की भी रक्षा करती है। देश के व्यापारिक / विविध वस्तुओं के समग्र निर्यातों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि , पॉलिसी के अधीन कारोबार रक्षा को परिलक्षित करती है।पॉलिसी क्षेत्र मे रु.1,98,872 करोड़ के 13,400 से अधिक पॉलिसियाँ व्यापार संविभाग के अंतर्गत प्रभावी है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के लिए लंबी ऋण अवधि एवं खुली सुपुर्दगी जैसे उच्च जोखिम लेनदेनों के लिए प्रमुख बीमा सुरक्षा उपलब्ध की गई।अभियांत्रिकी माल, कपास, कपड़ा, रसायन एवं औषधीय जैसे गहन रोजगार क्षेत्र की अधिकतम रक्षा की गई।पॉलिसी कारोबार एवं साथ ही साथ भारतीय निर्यातों की रक्षा में जोखिम मूल्य की प्रवृत्ति के आधार पर पॉलिसी कारोबार में वित्त वर्ष 2021-22 में 11% तक की वृद्धि परियोजित ( पी ) है.

(राशि करोड़ ₹ में)

| वित्तीय वर्ष | ईसीआईबी जोखिम मूल्य | पॉलिसी जोखिम मूल्य | भारतीय माल निर्यात | पॉलिसी आरवी/ भारतीय निर्यात | ईसीआईबी आरवी/ भारतीय निर्यात |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 4,48,604 | 1,72,788 | 22,73,526 | 7.60 | 19.73 |
| 2017-18 | 4,56,684 | 1,77,349 | 19,56,515 | 9.06 | 23.34 |
| 2018-19 | 4,55,267 | 1,98,872 | 23,07,726 | 8.62 | 19.73 |
| 2019-20 P) | 5,11,000 | 2,65,000 | 23,85,000 | 11.11 | 21.43 |
| 2020-21 (P) | 5,52,000 | 3,28,000 | 26,32,000 | 12.46 | 20.97 |
| 2021-22 (P) | 6,02,000 | 3,98,000 | 29,06,000 | 13.70 | 20.72 |

*सारणी 1 - ईसीजीसी का जोखिम मूल्य प्रोजेक्शन तथा भारतीय माल निर्यात में इसका अंश*

इसी तरह, ईसीआईबी क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति निर्यात ऋण की मात्रा में वृद्धि द्वारा संचालित है जो कि समग्र माल निर्यात प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत संरक्षित खातों की कुल संख्या में लगभग 20,000 सक्रिय निर्यातकों शामिल थे तथा इसके अंतर्गत कुल ₹ 4,55,267 करोड़ की जोखिम मूल्य को रक्षा प्राप्त थी । कुल मिलाकर, लगभग 3000 शाखाओं के नेटवर्क वाले 33 बैंकों को निर्यातकों को निर्यात ऋण देने के उनके प्रयासों में समर्थन प्रदान किया गया ।

इस तथ्य के साथ कि पिछले कुछ समय से निर्यात में वृद्धि थम गई है उपरोक्त चलन को ध्यान में रखते हुए, पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में लागू किए गए सुधारों के साथ नई सम्भावनाएं प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही है तथा परिणामतः, आने वाले 5 वर्षों के दौरान निर्यात ऋण संवितरण में बढ़ोत्तरी प्रत्याशित है । तदनुसार, इस क्षेत्र के अंतर्गत जोखिम मूल्य में वृद्धि का प्रोजेक्शन निर्यात और निर्यात ऋण के तालमेल पर आधारित है।

समग्र रूप से, कुल माल निर्यात के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य (दोनों पॉलिसी तथा ईसीआईबी रक्षाओं के जोखिम मूल्य शामिल ) के वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 30% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 40% होने जाने की सम्भावना है ।

समग्र रूप से, कुल माल निर्यात के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य (दोनों पॉलिसी तथा ईसीआईबी रक्षाओं के जोखिम मूल्य शामिल ) के वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 30% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 40% होने जाने की सम्भावना है ।

b. **नमूना का आकार, नमूना चयन की प्रक्रिया तथा प्रयुक्त उपकरण**: इस अध्ययन को मिश्रित विधि के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसमें निर्यातकों और बैंकरों के एक नमूने के लिए लगभग 20,000 निर्यातकों के कुल ग्राहक आधार से न्यूनतम 10 % तथा अधिकतम 15 % का चुनाव क्लस्टर सैम्पलिंग पद्धति के आधार पर किया जाएगा तथा उनको विशिष्ट प्रश्नावली वितरित की जाएगी। इन 60 समूहों को कंपनी के सेवा नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले प्रमुख निर्यात केंद्रों के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। चूंकि समूहों को यादृच्छिक आधार पर चुना जाना प्रस्तावित है, इसलिए परिणाम पूरे निर्यातकों के लिए सामान्यीकृत किए जा सकते हैं। प्राप्त किए गए इस प्राथमिक डेटा का, मूलतः आने वाले वर्षों के लिये सांख्यिकीय पूर्वानुमान उपकरणों का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए अनुमानित आंकड़ों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए, द्वितीयक आंकड़ों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाएगा।

## 4. अध्ययन का उद्देश्य

a. योजना का निष्पादन:

नीति आयोग द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित आउटपुट सहित संकेतकों की निम्नलिखित श्रेणी के आधार पर योजना के निष्पादन का आकलन किया जाना है:

1. आउटपुट से तात्पर्य कार्यक्रम गतिविधियों के प्रत्यक्ष और नापे जा सकने वाले उत्पाद से है, जिसे प्रायः भौतिकी के शब्दों या इकाइयों में व्यक्त किया जाता है।
2. परिणाम से तातपर्य इन सेवाओं के वितरण में लाए गए सामूहिक परिणाम या गुणात्मक सुधार से है।

कृपया वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईसीजीसी के आउटपुट / परिणाम विवरण हेतु अनुबंध 1 का संदर्भ लें।

### b. अतरिक्त मानदंड

i. **लाभार्थियों का कवरेज**: ईसीजीसी योजनाओं के लाभार्थी सभी भौगोलिक स्थानों तथा टर्नओवर श्रेणियों के भारतीय निर्यातक हैं।

ii. **कार्यान्वयन प्रक्रिया:** ईसीजीसी निर्यातकों (पॉलिसी) और बैंकों (ईसीआईबी - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा) के लाभ के लिए ऋण बीमा रक्षा का संचालन करता है। योजनाएँ अल्पकालिक के साथ-साथ मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात लेनदेन हेतु भी

रक्षाएं प्रदान करती हैं। मुंबई में स्थित मुख्यालय के साथ पूरे भारत में ईसीजीसी की 60 शाखाएँ एवं 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

iii. **प्रशिक्षण/प्रबंधकों का क्षमता निर्माण/समन्वयक**: जहां ईसीजीसी पूरे देश में 65 क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से योजना के प्रशासक के रूप में कार्य करता है, वहीं यह अपने लगभग 100 क्षेत्र अधिकारियों को, समन्वयक के रूप में, निर्यातकों / बैंकों के मार्गदर्शन और ईसीजीसी से उपयुक्त बीमा रक्षा तथा सेवा प्राप्त करने में सक्षम करने के उद्देश्य से विभिन्न आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

iv. वैध आयात निर्यात कोड (IEC) धारक और विदेशी व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों का अनुपालन करने वाले कोई भी निर्यातक ईसीजीसी बीमा रक्षा के लिए पात्र हैं। ईसीआईबी रक्षा के लिए, अपने निर्यातक खातों को जारी किए गए बैंकों के निर्यात वित्त पोर्टफोलियो पात्र हैं। तदनुसार, भारत में लगभग 80,000 निर्यातकों में से लगभग 20,000 निर्यातकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईसीजीसी उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाया। कंपनी द्वारा अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए बैंकों को दावों के बड़े निपटान कर अधिकतम ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक और निर्यातकों दोनों को दिए गए कुल दावे 1,013 करोड़ रु के उच्चतम स्तर पर हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में भुगतान के लिए रु 5,877 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 तक अपने ग्राहक आधार को बढ़ाकर 21,000 करने का लक्ष्य रखा है

v. बैंकों (निजी बैंकों सहित) और ग्राहकों विशेषकर मध्यम व लघु निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन और जी डी में हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से ईसीजीसी उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाता है, ये बैठकें अपने सेवा नेटवर्क में प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी निर्यात जागरूकता बैठकें आयोजित करते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य से कंपनी के सेवा नेटवर्क में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं।

vi. **आई ई सी गतिविधियां :** कोई नहीं

vii. **संपत्ति/सेवा में वृद्धि एवं रखरखाव** योजना : निर्यातकों और बैंकों को किफ़ायती ऋण बीमा प्रदान करके भारतीय निर्यात को मजबूत करना

viii. **लाभ** : ईसीजीसी निर्यातकों एवं बैंकों को विदेशी गैर-भुगतान जोखिम और निर्यात वित्त ऋण जोखिम पर किफ़ायती निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान कर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से निर्यात समुदाय में योगदान देता है।

ix. **अपने मंत्रालय की योजना के साथ अभिसरण** : ईसीजीसी भारत से बाहर व्यापार की सुविधा प्रदान करके, अपने मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के उद्देश्यों में योगदान देता है।

**c. परिणामों एवं उपलब्धियों में अंतर**

वर्तमान में ईसीजीसी विदेशी खरीदारों पर गैर-भुगतान जोखिम पर निर्यातकों को दी जाने वाली अपनी पॉलिसी रक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्यात का लगभग 9% कवर करता है। हालांकि तेल निर्यात को छोड़कर, रक्षा योग्य बाजार की मात्रा का आकलन करने के लिए सटीक डेटासेट उपलब्ध नहीं है, एलसी-समर्थित लेनदेन और सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों को निर्यात, भारतीय निर्यात का लगभग 40% संभावित रूप से कंपनी के पॉलिसी रक्षा के माध्यम से कवर किया जा सकता है। निर्यातकों के लिए सालाना 5500 नई पॉलिसी जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है।

**d. प्रमुख चुनौतियाँ**

i. बैंको द्वारा ऋण जारी करने में कटौती,
ii. बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एन पी ए) में वृद्दि.
iii. वैश्विक व्यवसाय में मंदी.

**e. भविष्य हेतु विजिन**

ईसीजीसी का लक्ष्य , भारत के निर्यात के 45% तक समर्थन बढ़ाने और 2024 तक भारत के 1 ट्रिलियन निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

**f. उत्पादकता के उपयोग संबंधी इनपुट**

I. ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षाओं की अधिकतम देयता (एमएल) बेंचमार्क क्षमता 1,00,000 करोड़ रु का लगभग 100% है।
II. वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 2000 करोड़ रु की पूंजी प्रदान करने के लिए सी सी ई ए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
III. प्रदान की जाने वाली उपरोक्त पूंजी को मिलाकर भी, वित्त वर्ष 2022 में अधिकतम देयता वित्त वर्ष 2022 में अनुमानित निवल मूल्य से लगभग 25 गुना होगी, जो ईसीजीसी की सॉल्वेंसी आवश्यकताओं को पूरा करने और वृद्धि जोखिम से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं का समर्थन करने की क्षमता पर काफी जोखिम पैदा करता है। यहां इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पूंजी-जोखिम अनुपात का विवेकपूर्ण स्तर केवल 20 गुना है।
IV. इसलिए, दुनिया भर में उभरते और चुनौतीपूर्ण बाजारों में निर्यात के लिए समर्थन को सक्षम करने के लिए ईसीजीसी के सॉल्वेंसी अनुपात बनाए रखने के लिए और पूंजी की आवश्यकता है।

**g. उपरोक्त के अतिरिक्त, एजेंसी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का मूल्यांकन किया जाना है :**

1) निर्यातकों को ईसीजीसी द्वारा दिए गए समर्थन का मूल्यांकन और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्ययोजना।

2) ईसीजीसी के समान क्षमता के कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मॉडल के साथ मौजूदा ईसीजीसी व्यापार प्रस्ताव का मूल्यांकन करना।

3) ईसीजीसी द्वारा लाभांश के भुगतान का मूल्यांकन

इसी तरह का एक अभ्यास वर्ष 2012-13 व 2017-18 के दौरान किया गया था। मूल्यांकन ग्यारहवीं योजना से बारहवीं योजना के लिए क्रिसिल लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसी संदर्भ में, प्रतिष्ठित एजेंसियों, जिन्हें इस प्रकार की गतिविधियो का संतोषजनक/पर्याप्त अनुभव है, से इस मूल्यांकन के लिए कोटेशन मंगाने का प्रस्ताव है।

**<u>समय सीमा</u>**

एजेंसी द्वारा नियुक्ति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

**"Disclaimer, In case of any discrepancies, please refer English version."**